बूंदी महोत्सव: भव्य होगा शोभायात्रा का स्वरूप, पारम्परिक वेशभूषा में होंगे लोग शामिल

बून्दी महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर गुरूवार को यहां जिला कलक्टेªट सभागार में अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकेश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 11 से 13 नवम्बर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि इस बार बूंदी महोत्सव के दौरान निकाली जाने वाली शोभायात्रा विशेष आकर्षण का केन्द्र रहेगी। शोभायात्रा का शहरभर में भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके लिए शोभायात्रा समिति की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही है। सजे धजे शोभायात्रा मार्ग में शोभायात्रा का बेहद भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा।

ऐसा होगा शोभायात्रा मार्ग का स्वरूप
विगत दो साल बाद बूंदी महोत्सव के तहत आमजन की अधिकाधिक भागीदारी के साथ निकाली जाने वाली शोभायात्रा के मार्ग का स्वरूप भी बेहद आकर्षक होगा। शोभायात्रा मार्ग की आर्कषण सजावट होगी। नागर-सागर के कुण्ड से कोटा रोड़ पर तौरणद्वार लगाए जाएंगे। इसके अलीावा शोभायात्रा मार्ग में अशोक के पत्तों की बन्दरवाल की साजाव के साथ ही मार्ग पर रंग-बिरगें झण्डे-बेनर आदि लगाये जाएंगे।

पारम्परिक वेषभूषा में हर वर्ग करेगा शिरकत
बूंदी महोत्सव के शुभारंभ पर गणेश पूजन तथा शोभायात्रा में शहर के जन प्रतिनिधियों, व्यापारियों, विभिन्न समाज सेवी सस्थाओं, संघों एवं गणमान्य नागरिकों पारम्परिक वेष-भूषा में शिरकत करेंगें। शोभायात्रा में शामिल होने होने वालों से रंग-बिरगी साफे पहनने आव्हान किया गया। बैंठक में उपखण्ड अधिकारी सोहन लाल, खेल अधिकारी वाई.बी सिंह, सहायक पर्यटक अधिकारी प्रेमशंकर सैनी, व्यापार महासंघ अध्यक्ष निरंजन जिदंल, उषा शर्मा, के.सी. वर्मा, पुरूषोतम पारिक, अशोक शर्मा, नितेश शर्मा, राजकुमार दाधिच, भुपेन्द्र योगी, धुरव व्यास आदि समाज सेवी मौजूद रहे।

उद्योग एवं हस्तशिल्प मेला
बून्दी महोत्सव 2022‘ के साथ ही “बून्दी उद्योग एवं हस्तशिल्प मेला 2022“ 11 नवम्बर से 20 नवम्बर तक कुम्भा स्टेडियम खोजा गेट रोड़ बून्दी के परिसर में आयोजित होगा। जिसमें दस्तकार, हस्तशिल्पियों, लघु उद्योगों, खादी संस्थानों, तकनीकी एवं शैक्षणिक संस्थानों व प्रदर्शन करने वाली सहकारी संस्थाओं के लिए रूपए 8500, व्यापारिक संस्थानों, उद्योगों से रूपए 9500, वृहद एवं मध्यम उद्योगों से 11 हजार प्रति स्टॉल किराया लिया जाएगा तथा कार्नर की स्टॉल का 3 हजार अतिरिक्त

किराया देय होगा।

जिला उद्योग अधिकारी सुरेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि मेले में पॉलीथीन, कैरी बेग के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। मेले में इच्छुक दस्तकार, उद्यमी, व्यापारिक संस्थान भाग लेना चाहते है तो वह किसी भी कार्य दिवस में 10 नवम्बर तक अपने स्टॉलं हेतु आवेदन पत्र भर सकते है। स्टॉलों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के आधार पर स्टॉल की समस्त राशि जमा कराने पर स्टॉल नम्बर का आवंटन किया जाएगा।